न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–562 / 2026

प्रतापगंज थाना कांड सं0–39 / 2026

02/06/2026	1. राजा कुमार, पे0 किशुनदेव सादा 2. किशुनदेव सादा, पे0 पुसाय सादा 3. बहादुर सादा, पे0 पुसाय सादा 4. मानो देवी, पति किशुनदेव सादा सा0–परसा बिरवल, वार्ड नं0 11, थाना प्रतापगंज, जिला–सुपौल.....आवेदक बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी --- आवेदक अभियुक्तगण 1. राजा कुमार 2. किशुनदेव सादा 3. बहादुर सादा एवं 4. मानो देवी की ओर से प्रतापगंज थाना कांड सं0–39 / 2026 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दिनांक 08.04.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन आज प्रचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विशेष लोग अभियोजक को पूर्व में दिया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता मो0 हासीम ने निवेदन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उन्हें दुर्भावना, द्वेष और स्थानीय गंदी राजनीति के कारण इस पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत मामले में झूठा और गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इससे पूर्व कोई भी अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में अथवा न हीं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर उत्पीड़न और अपमान करने के इरादे से मामले दर्ज किया गया है। आवेदकगण प्रतिष्ठित पुरुष और महिलाएं है, उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और अपमान का डर है। आवेदकगण कानून का पालन करने वाले नागरिक है और उनके फरार होने या जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री महेन्द्र प्रसाद साह द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) को हथियार के बल पर अपहरण कर ले जाने और घर में रखा रुपया एवं जेवरात लूटपाट करने का सीधा आरोप है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद के सूचिका प्रमिला देवी के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 96, 3(5) बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचिका का कथन है कि दिनांक 15.02.2026 के रात्रि 21:30 बजे सूचिका की पुत्री पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष घर में सोई हुई थी। जहॉ षड्यंत्र के तहत अवैध हथियार के बल पर 1. राजा कुमार 2. अजय कुमार 3. किशुनदेव सादा 4. बहादुर सादा 5. मानो देवी एवं 6. राम कुमार सादा सभी सा0 परसा बिरवल, वार्ड नं0 11, थाना प्रतापगंज, जिला सुपौल सभी मिलकर सूचिका की पुत्री का अवैध हथियार का भय दिखाकर अपहरण कर लिया। सूचिका को शंका है कि उसकी पुत्री का कही हत्या न करे दे। उक्त सभी मिलकर घर में रखा रुपया एवं जेवरात लूट–पाट किया। उभय पक्ष को सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण है तथा आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) का हथियार के बल पर अपहरण कर ले जाने और घर में रखा रुपया एवं जेवरात लूटपाट	**लगातार**

न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–562 / 2026

प्रतापगंज थाना कांड सं0–39 / 2026

लगातार 02/06/2026

करने का सीधा आरोप है। आवेदकगण के विरुद्ध प्राथमिकी बी0एन0एस0 की धारा–96, 3(5) में दर्ज किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–02 में वादिनी ने पुनर्ब्यान में, कंडिका–07 साक्षी दीपू सादा ने, कंडिका–08 में साक्षी अनिता देवी ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है तथा आवेदक की संलिप्तता की बात कहा है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–18 में अपहृता का उम्र सत्यापन मध्य विद्यालय परसा विरवल सूरजापुर से कराया गया है, जिसमें अपहृता का जन्म तिथि 30.03.2008 अंकित है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–35 में अपहृता का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के तहत लिया गया बयान अंकित है, जिस पर पीड़िता ने कहा है कि दिनांक 15.02.2026 को शाम करीब 07:00 बजे अपने प्रेमी राजा कुमार के साथ उसके नानी घर ठाडी महेशपुर थाना–पिपरा, जिला–सुपौल चले गये तथा दिनांक 17.02.2026 को राजा कुमार से कोर्ट में शादी कर लिये। इसमें राजा कुमार एवं उसके घर वालों को कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से राजा कुमार के साथ गयी थी। काण्ड दैनिकी के कंडिका–53 में अपहृता की धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के तहत लिया गया बयान अंकित है, जिस पर पीड़िता ने कहा है कि डेढ़ माह पहले शाम के समय मैं घर से बिना बताये निकल गयी तथा राजा के नानी गांव चली गयी तथा ममिया ससुर और राजा के साथ कोर्ट गयी, जहॉ हमारी शादी सरपंच में मौजूदगी में हुई। तब से मैं ससुराल में रह रही हूँ। राजा कुमार एवं मेरे बीच शारीरिक संबंध बना है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–58 में अपहृता का मेडिकल रिपोर्ट अंकित है, जिसके अनुसार no fighting sign or any sign of physical assault be found but rape can not be rulrd out. Hymen is Completely lax. काण्ड दैनिकी के कंडिका–61 के अनुसार काण्ड का अनुसंधान जारी है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों एवं अपहृता का उम्र को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण 1. राजा कुमार 2. किशुनदेव सादा 3. बहादुर सादा एवं 4. मानो देवी की ओर से दिनांक 08.04.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(राजेश कुमार, चतुर्थ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्टम्
सह
विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल।

Date of Order	02-06-2026
Date of Reserving Order	02-06-2026
Uploading Date	05-06-2026
Uploaded by	RAJEEV KUMAR

न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–562 / 2026

प्रतापगंज थाना कांड सं0–39 / 2026